<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 18/2021 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

–आवेदक–

<u>बनाम</u>

1. **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्सः–श्रीनाथ डिपार्टमेन्टल स्टोर, पी.जी.** कॉलेज के सामने, दौसा

–अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>–: आदेश :–</u> दिनांकः– 22.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के **द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय** क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 5.3.2021 को दोपहर 03:30 बजे मैसर्सः– श्रीनाथ डिपार्टमेन्टल स्टोर, पी.जी. कॉलेज के सामने दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के लूज बैग में करीबन 10 किग्रा मैदा(लूज) आम जनता **को बेचने हेतु रखे हुये थे। इनमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा मैदा(लूज) खरीदी। जिसे विक्रेता ने साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दी। जिसकी** कीमत 60 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मैदा(लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर **चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने** हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2602 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 16:20:15 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री नितेश सोनी आईईसी कार्डिनेटर मुख्यालय द्वारा दिनांक 9.3.2021 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.3.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.3.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./200/एक्ट/2021/377 दिनांक 23.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./200/एक्ट/2021/377 दिनांक 23.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) के नमूने मे **Total Ash(on dry weight basis)** 1.96 प्रतिशत पाया गया है। जो कि तय किये गये मानक 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये था। तय मानको से अधिक **Total Ash(on dry weight basis)** पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का मैदा(लूज) नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरी फर्म मैसर्सः– श्रीनाथ डिपार्टमेन्टल स्टोर, पी. जी. कॉलेज के सामने, दौसा से खाद्य पदार्थ मैदा का नमूना लिया गया था। खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में यह नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ मैदा का 10 किलोग्राम का पैक कट्टा खरीदकर आमजन को उनकी सुविधा के हिसाब से विक्रय किया जाता था। जैसा माल पैक कट्टे में कम्पनी से पैक होता है। वैसा का वैसा ही आम जनता को उनकी सुविधा के हिसाब से विक्रय किया जाता था। मेरी ओर से उक्त खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैम्पल लिये जाने के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:15 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसके बाद मैने लूज खाद्य पदार्थ का पूर्णतया विक्रय बन्द कर दिया गया है। कम्पनी से जिस प्रकार पैक माल खरीदा जाता है वैसा का वैसा पैक ही आम जनता को विक्रय किया जा रहा है। लूज खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं किया जाता है। अतः श्रीमान जी से **निवेदन है कि जानकारी के अभाव में प्रथम बार की गई गलती को माफ करते हुये प्रकरण में** कार्यवाही ड्रोप की जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने की कृपा करे। मेरे द्वारा भविष्य में यह गलती नहीं की जायेगी।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारीएवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./200/एक्ट/2021/377 दिनांक 23.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) का आमजन को विक्रय किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मैदा(लूज) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—श्रीनाथ डिपार्टमेन्टल स्टोर, पी.जी. कॉलेज के सामने, दौसा पर 2100/—(अक्षरे दो हजार **एक सौ रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय** दिनांक 22.06.2022 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ दिनांकः—22.06.2022

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. **श्री संतोष कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप गुप्ता एफबीओ मैसर्सः—श्रीनाथ डिपार्टमेन्टल स्टोर, पी.जी.** कॉलेज के सामने, दौसा

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:15 IST
Reason: SelfAttested